राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं.16/2023

प्रार्थी–

1. श्री लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी खारापार तहसील गिड़ा, हाल निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बलोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, जसोल

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.12.2021 जो प्रकरण सं. 431/2021 नायब तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.08.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 431/2021 सरकार बनाम लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2021 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में दिनांक 21.04.2022 एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का बिठूजा द्वारा नायब तहसीलदार जसोल के समक्ष एक टी.पी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिठुजा के खसरा नम्बर 559/31 व 01.01 बीघा किस्म बारानी दोयम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

भूमि पर चार दीवारी बना कर गैर सायल लक्ष्मणराम द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कर लिया है जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। नायब तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 31.12.2021 के द्वारा 223/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.11.2023 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि हल्का पटवारी बिठूजा द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध झूठा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ अधिकारी श्रीमान नायब तहसीलदार जसोल द्वारा दर्ज किया। मौजा बिठूजा की सरकारी भूमि खसरा नंबर 573/35 व 10 किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर पक्का निर्माण चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण नहीं किया है तथा हल्का पटवारी ने वर्तमान सरपंच के दबाव आकर गलत रिपोर्ट बनाकर प्रकरण पेश की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूखण्ड के संबंध में किसी भी तरह की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है, केवल हल्का पटवारी के मौखिक कथनों पर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त हस्तगत प्रकरण में अपीलांट दिनांक 31.12.2021 को उपस्थित हुआ तथा अपीलांट ने जवाब हेतु समय चाहा गया, लेकिन

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलांट को जवाब व दस्तावेज पेश करने के अवसर दिए बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया। इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलांट की सम्पति भू रूपान्तरित खसरा संख्या 564/32 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन आवासीय खसरा संख्या 567/32 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन उद्योग, खसरा नंबर 570/34 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन उद्योग तथा अपीलांट की पत्नी कमला चौधरी का खसरा संख्या 1388/33 रकबा 01.11 बीघा गैर मुमकिन उद्योग में हिस्सा 23276 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन उद्योग, खसरा संख्या 1482/46 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन उद्योग एवं पट्टा संख्या 7477 दिनांक 17.10.2014 कमांक 2014006966 दिनांक 07.11.2014 भूमि अवस्थित है, जिस पर ही अपीलांट का कब्जा व स्वामित्व है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना पैमाईश करवाये गलत रूप से अपीलांट को अतिक्रमणी घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण में किसी के भी बयान आदि नहीं लिये गये है, यहां तक हल्का पटवारी के बयान भी नहीं लिये गये। इस प्रकार अपीलांट को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय प्रारम्भ से ही अपीलांट को दण्डित करने का मानस बना चुका था, जिस कारण अपीलांट की अनुपस्थिति में ही अपीलांट को जुर्माना से दण्डित करते हुए बेदखल करने का निर्णय सुनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट को न्यायोचित तरीके से समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा आनन फानन में बिना विधिक प्रकिया अपनाये तत्काल ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है एवं निरस्त करने योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 31.12.2021 को पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम बिठूजा में अपना कब्जा–आधिपत्य होना प्रकट किया है। साथ ही अपीलाधीन भूमि ग्राम बिठुजा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 559/31 की फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई, जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित अनुसार अपीलांट द्वारा अपीलाधीन राजकीय (बिला कब्जा) भूमि पर अडाण मय टीन शेड, जिगर इत्यादि निर्माण कर अनाधिकृत रूप से कब्जा बताया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 431/21 अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर दर्ज करते हुए बाद सुनवाई निस्तारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रथम पेशी पर सील/मोहर द्वारा खारीज किया गया। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से सुनवाई के अवसर का अभाव पाया गया। इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही में मौके कब्जे की विस्तृत जांच, अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से उक्त आलोच्य आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश संख्या 431/2021 दिनांक 31.12.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार जसोल को इस निर्देश के साथ

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांट की उपस्थिति में स्वयं मौका जांच करें तथा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी से भिन्न अन्य भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ टीम गठित कर से पैमाईश कराई जाकर रिपोर्ट ली जावें तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा